राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1014/2017/जालौर.

मैसर्स महादेव शॉ मिल, रानीवाड़ा रोड़, सांचोर, जालौर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, सांचोर, जालौर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 11/आरवेट/जेओआर/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत–सांचोर, जालौर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 22, 23 व 24(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.6.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अदमहाजिरी अदमपैरवी खारिज किया है।

2. बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड व अपील आधारों का अवलोकन किया जाकर तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2016 के जरिये अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अदमहाजिरी एवं अदमपैरवी खारिज की गयी थी, जिसके विरूद्ध व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष पूर्ण कथन कर दिये गये थे उसके बावजूद भी उनके द्वारा बिना पैरवी के अपील खारिज करने का उल्लेख किया गया है जो उचित नहीं है।

लगातार.....2

4. प्रस्तुत अपील आधारों में यह वर्णित किया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष 2012–13 का कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था जिसमें व्यवहारी को घोषणा पत्र 'सी' जारी होना एवं उनका उपयोग करना मानते हुए कर योग्य आवर्त रूपये 18.19 लाख बताया गया जबकि व्यवहारी द्वारा कोई 'सी' फॉर्म विभाग से प्राप्त ही नहीं किये गये थे।

5. सर्वप्रथम अपीलीय अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 4.7.2016 को अपील सम्बन्धी कथन किये गये थे जिसमें यह बताया गया था कि कर निर्धारण आदेश व डिमाण्ड नोटिस कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना ही प्राप्त हुए हैं एवं कार्यालय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीनमाल से जो 'सी' फॉर्म संख्या 2411701 से 2411725 जारी होना बताया गया है, वह पूर्णतया गलत था अतः अविधिक आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2016 में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किसी भी कथन पर विचार किये बिना अदम पैरवी में अपील खारिज की गयी है जो न्यायसम्मत नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक 22.01.2016 से दिनांक 20.9.2016 तक लगातार उपस्थित रहे हैं एवं आदेश पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी किये हुए हैं अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश अपास्त किया जाता है।

6. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली की जांच पर पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 16.3.2015 को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 27.3.2015 की पेशी निश्चित की गयी थी जबकि दिनांक 27.3.2015 को किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर पत्रावली स्वयं के स्तर पर प्रस्तुत करते हुए दिनांक 30.6.2015 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है जो विधि एवं न्याय के विरूद्ध है। प्रकरण के उपरोक्त वर्णित तथ्यों को देखते हुए कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय पारित किया गया था एवं व्यवसायी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये वैट रिटर्न को बिना किसी आधर के अस्वीकार कर 'सी' फॉर्म जारी होना एवं उन 'सी' फॉर्म के जरिये माल मंगवाये जाने के अनुमान के आधार पर मांग सृजित की गयी है वह न्यायोचित नहीं है क्योंकि व्यवहारी द्वारा विभाग में दिनांक 10.2.2014 को वैट–10ए ऑनलाईन प्रस्तुत कर दिया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध है, जिसमें केवल रूपये 18.19 लाख की बिक्री बताई गई थी वह पूर्णतया कर योग्य ना होकर करमुक्त एवं कर योग्य

लगातार.....3

मद में थी। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अवैधिक होने से अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए बहियात की जांच एवं 'सी' फॉर्म के सम्बन्ध में स्वयं के कार्यालय से जांच करवाने के पश्चात् उसका उपयोग होने की स्थिति में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् पुनः आदेश पारित करें।

7. फलतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः आदेश करने के निर्देश दिये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य